पृष्ठ-संख्या—582

रजि0सं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1676/सत्रह-वि-1-1(क) 15/1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1995 पर दिनांक 24 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय

(उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध अधिनियम, 1995)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 13 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 12 सन 1887 का संशोधन

2—बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,—

(क) धारा 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 और 25 में शब्द "सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीशों" के, जहां कहीं भी आये हों, स्थान पर क्रमशः शब्द "सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)" और "सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन)" रख दिये जायेंगे।

(ख) धारा 3, 4, 13, 19, 21, 22, 23, 24 और 25 में, शब्द "मुंसिफ" और "मुंसिफों" के, जहां कहीं भी आये हों, स्थान पर क्रमशः शब्द "सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन)" और "सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन)" रख दिये जायेंगे।

(ग) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ—1 में दर्शाई गई धाराओं के वर्तमान पार्श्व-शीर्षकों के स्थान पर उसके स्तम्भ—2 में दर्शाये गये पार्श्व-शीर्षक रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

सारणी

धारा	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व-शीर्षक
1	2
4	जिला न्यायाधीशों, सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) की संख्या
6	जिला या सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) के पदों में रिक्तियां
11	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की पद रिक्ति होने पर कार्यवाहियों का अन्तरण
18	जिला या सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की आरम्भिक अधिकारिता का विस्तार
19	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की अधिकारिता का विस्तार
21	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) से अपील
22	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) से अपीलों का सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) को अन्तरण की शक्ति
23	कतिपय कार्यवाहियों में जिला न्यायालय की अधिकारिता का सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा प्रयोग
25	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) में लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता विनिहित करने की शक्ति

अनुपूरक उपबन्ध

3—बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर,—

(क) किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम;

(ख) ऐसे विषयों से सम्बन्धित किसी केन्द्रीय अधिनियम, जिनके सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है ;

(ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन जारी किये गये या बनाई गई किसी अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, विनियम या उपविधि; या

(घ) संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये किसी नियम ;

में सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ के प्रति किसी निर्देश को, यथास्थिति सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के प्रति निर्देश समझा जायगा।

निरसन और अपवाद

4—(1) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या बंगाल, आगरा, और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबंध) अध्यादेश, 1995 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1676 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 15/1995

Dated Lucknow, August 25, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bengal, Agra Aur Assam Civil Nyayalaya (Uttar Pradesh Sanshodhan Aur Anupurak Upbandh) Adhiniyam, 1995 Uttar Pradesh Adhiniyam Sankya 25 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 24, 1995.

THE BENGAL, AGRA AND ASSAM CIVIL COURTS (UTTAR PRADESH AMENDMENT AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS) ACT, 1995

(U. P. Act no.25 of 1995)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttar Pradesh Amendment and Supplementary Provisions) Act, 1995.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on January 13, 1995.

Amendment of Act No. 12 of 1887

2. In the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in Sections 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 and 25, *for* the words "Civil Judge" and "Civil Judges" wherever occurring, the words "Civil Judge (Senior Division)" and "Civil Judges (Senior Division)" shall respectively be *substituted* ;

(*b*) in Sections 3, 4, 13, 19, 21, 22, 23, 24 and 25, *for* the words "Munsif" and "Munsifs" wherever occurring, the words "Civil Judge (Junior Division)" and "Civil Judges (Junior Division)" shall respectively be *substituted* ;

(c) *for* the existing marginal headings to the sections shown in Column I of the table below, the marginal headings as shown in Column II thereof shall be *substituted*, namely :—

TABLE

Section	Marginal headings as hereby substituted
I	II
4	Number of District Judges ; Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)
6	Vacancies among District or Civil Judge (Senior Division)
11	Transfer of proceedings on vacation of office of Civil Judge (Senior Division)
18	Extent of original jurisdiction of District or Civil Judge (Senior Division)
19	Extent of jurisdiction of Civil Judge (Junior Division)
21	Appeals from Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division)
22	Power to transfer to Civil Judges (Senior Division) appeal from Civil Judges (Junior Division)
23	Exercise by Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior division) of jurisdiction of District Court in certain proceedings
25	Power to invest Civil Judges (Senior Division) and Civil Judges (Junior Division) with Small Cause Court Jurisdiction.

Supplementary provisions

3. With effect from the commencement of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttar Pradesh Amendment and Supplementary Provisions) Act, 1995 any reference to the Civil Judge or Munsif in :—

(a) any Uttar Pradesh Act ;

(b) any Central Act relating to matters in respect of which the State Legislature has powers to make laws ;

(c) any notification, order, scheme, rule, regulation or bye-law issued or made under the Acts referred to in clauses (a) and (b) ; or

(d) any rule made by the High Court under Article 227 of the Constitution,

shall be construed as reference to the Civil Judge (Senior Division) or Civil Judge (Junior Division), as the case may be.

Repeal and savings

4. (1) The Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttar Pradesh Amendment and Supplementary Provisions) (Second) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Uttar Pradesh Amendment and Supplementary Provisions) Ordinance, 1995, shall be deemed to have been done or taken under the provisions of the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

N. K. NARANG

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०-216 सा० विधा०--(2812)--1995--850 (मेक०)।